

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प
देसरी

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता/खसरा दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी धागेराव व भू.अ.नि. देसरी की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार/तहसीलदार देसरी की अनुशंशा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धागेराव तहसील देसरी जिला पाली की जमाबंदी संवत् में खाता/खसरा संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.स.	ग्राम	खाता/खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	धागेराव	$\frac{4048}{638}$	$\frac{4048}{638}$ गलत त्रसम की प्रविष्टि	$\frac{4048}{638}$ पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किया जाना।

देसरी

(
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलेक्टर
(सा.डी.ओ.) देसरी (पाली)

क्रमांक :- 1902/9-12

दिनांक :- 16/05/2024

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार देसरी को भेज कर लेख कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दोसराय पुत्र पुनाराम माली को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।
4. पटवारी इल्का धागेराव

देसरी

16.5.2024
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(सा.डी.ओ.) देसरी (पाली)

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

श्री,
निवेदन है कि प्राप्ति द्वारा आवेदन क्रमांक कोटा का ए.नं. - 4048/638

क्रमांक - 0.04 है. जो वर्तमान नक्शा शीट में गलत क्रमांक के नाम.

क्रमांक 1542 के अनुसार दर्ज नहीं होकर गलत दर्ज हो गयी है जिसे

वर्तमान नक्शा शीट में क्रमांक से - 1542 की पुस्तक पीछे की गयी तरमीन

अनुसार खर्च दर्ज किया जाना आवश्यक उचित है नजर नक्शा निम्नानुसार

हू - (शुद्ध तरमीन)



4046 638	4045 637
638	637
4048/638	
4047 638	4047 637

शुद्ध तरमीन
(क्रमांक से - 1542 के अनुसार)

4046 638	4045 637
638	637
4047 638	4047 637

मालीदासराज
पुस्तक

हल्का पटवारी.....
7/5/2024

भू.अ.निरीक्षक

रिपोर्ट - नायब तहसीलदार/तहसीलदार

हल्का पटवारी..... एवं भू.अ.निरीक्षक..... की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खातेदार का भू नक्शा साईट में वर्तमान तरमीन (गलत तरमीन) का शुद्ध करना उचित है ।

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
जिला-पाली, राजस्थान

आदेश

पटवारी हल्का/भू.अ.निरीक्षक/तहसीलदार-देसूरी की रिपोर्ट एवं अनुशांषा के अनुसरण में प्रार्थी के खातेदार का भू नक्शा साईट में वर्तमान तरमीन (गलत तरमीन) का शुद्ध करदुरस्त किया जाना प्रतित होता है ।

अतः आदेश जारी होकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर कम हो ।

16.5.2024

उपखण्ड अधिकारी-देसूरी
जिला-पाली, राजस्थान
(स.प्र.मो.) देसूरी (पाली)